मूल वाद न. डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर जिला–भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– श्री कृष्णपाल सिंह चौहान R.A.S.

श्री विट्ठल S/o चांदीचन्द काहल नि० भूतेला उनवान बनाम मांगीलाल S/o स्वाईराम काहल नि० भूतेला

दावा बाबत 88-53

मुकदमा नम्बर :– 36/2008

निर्णय दिनांक :– 27-5-2016

वादी की और से श्री [illegible] B.A. ..... की व प्रतिपादी की ओर से – की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.5.2016 को (नाम पीठासीन अधिकारी) कृष्णपाल सिंह चौहान के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88.53 R.T.Act का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि ग्राम भूतेला तह. लहारा के ग.नं. 874 रकबा 0.04 है. विवाद गैर मु. चाह में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार की जारी की जाती है कि ग्राम भूतेला के ग.नं. 874 रकबा 0.04 है विवाद भूमि गै.मु. चाह

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27-5-16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर (भीलवाड़ा) (राज.)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एव

पदेन सहायक कलक्टर गंगापुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमीश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	